



समाहरणालय-जहानाबाद

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) जहानाबाद, बिहार  
(जिला प्रोग्राम शाखा, प्रथम तल, विकास भवन, जहानाबाद)

मोप नं० - 9431005028, E-mail & dpo.icds.jehna-bih@gov.in,  
dpo.jehanabad.icds@gmail.com

जिला प्रोग्राम कार्यालय, जहानाबाद

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.), जहानाबाद जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर  
ऑनगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन

विज्ञापन संख्या 01/2025

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जहानाबाद जिला में समेकित बाल विकास सेवाएँ (ऑनगनबाड़ी सेवाएँ) अंतर्गत कार्यरत ऑनगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापक 1846 दिनांक 10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में जहानाबाद जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक ऑनगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. जहानाबाद जिला में रिक्त 13 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	आरक्षण कोटि	रिक्त की संख्या
1	अनुसूचित जाति	03
2	अनुसूचित जन जाति	00
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	03
4	पिछड़ा वर्ग	01
5	पिछड़े वर्गों की महिला	01
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01
7	अनारक्षित वर्ग	04
	कुल :-	13

नोट :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 962 दिनांक 22.01.2024 द्वारा दृष्टि दिव्यांगता हेतु 01 पद क्षैतिज आरक्षण के तहत देय है।

1. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा निम्नवत् है :-

आवेदन प्राप्ति की तिथि 17.03.2025 से 09.04.2025 तक है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन जिले के अधिकारिक वेबसाइट <http://jehanabad.nic.in> के साथ साथ <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित करेंगे।

2. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी कार्यालय, समाहरणालय, जहानाबाद, पिन कोड 804408 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर बांयी ओर "ऑनगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथो-हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन, प्रमाण पत्र, दस्तावेज आदि विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रेमाणित छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।  
(इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र)
- अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा निर्गत आचारीय प्रमाण पत्र।
- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र - आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र - अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
- जिन ऑनगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार / राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो, संबंधित प्रमाण पत्र।
- अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। (दृष्टि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

4. ऑनगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता :-

- शैक्षणिक योग्यता :-  
न्यूनतम योग्यता - मैट्रिक / समकक्ष उत्तीर्ण
- वयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात् 01.01.2025 को 10 वर्ष की सेवा

- III. उम्र सीमा - विज्ञापन वर्ष 2025 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक 41 दिनांक 29.01.2023 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
अभ्यर्थी को इस आशय का अन्वय देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- IV. अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता/दिव्यांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर किया जायेगा।
5. वांछित सूचनाएँ -
  - I. भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र का ही मान्यता दी जाएगी।
  - II. आवेदिका को जहानाबाद-जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
  - III. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व के ही निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
  - IV. ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र सलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
  - V. मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों के अंकों को जोड़ा जाएगा।
  - VI. प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।
  - VII. प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक, यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।
  - VIII. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी।
  - IX. आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली ऑगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी।
  - X. यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा।
  - XI. अनियमितता के आरोप में घयनमुक्त ऑगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी।
  - XII. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ लेने हेतु गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एतद् प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक मान्य होगा।
  - XIII. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी के पति के साथ रहने के स्थिति में उनके पति के स्थाई निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थाई निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि विवेचित, विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। एतद् प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
  - XIV. अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे।
  - XV. उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 411 दिनांक 16.01.2025 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 27500/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/- रुपये प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित है)
  - XVI. अंतिम रूप से घयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
  - XVII. विज्ञापन को संशोधित अथवा रद्द करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को होगा।
  - XVIII. ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज पर ही विचार किया जायेगा।
  - XIX. ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि में EDIT का कोई प्रावधान नहीं होगा।

नोट-संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना के पत्रांक 4068 दिनांक 28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गनिर्देश यथा अर्हता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई.सी.डी.एस. के सूचना पृष्ठ अथवा जहानाबाद के अधिकारिक वेबसाइट <http://jehanabad.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त सूचना [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) पर भी देखी जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद

PR. No. 21270 (SWD) 2024-25

शो से चयन का है एक ही उपचार, दृढ़ सकल्य और परिवार से प्यार।